

कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1718084 दिनांक 29-01-2018

पत्र संख्या- ई-वे बिल/स्टेकहोल्डर्स/प्रचार प्रसार (जी0एस0टी0)/2017-18/ 1332/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(जी0एस0टी0-अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: जनवरी, 29, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/ कार्यपालक /टैक्स ऑडिट/कारपोरेट सर्किल),

समस्त डिप्टी कमि0/असि0कमि0 (वि0अनु0शा0),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

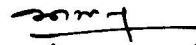
विषय:- दिनांक 01.02.2018 से लागू हो रहे नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था के सम्बंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 1324 दिनांक 25.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिनांक 01.02.2018 से लागू नेशनल ई-वे बिल के सम्बंध में निर्देश जारी किये गये हैं । उक्त परिपत्र के संलग्नक के रूप में नेशनल ई-वे बिल के सम्बंध में महत्वपूर्ण बिन्दु भी संसूचित किये गये थे । महत्वपूर्ण बिन्दुओं में "यदि माल का गन्तव्य स्थान परिवहन स्थल के 10 किलो मीटर के अन्दर है तो ई-वे बिल डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है", उल्लिखित किया गया था जो त्रुटिपूर्ण है। माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 के उपनियम 3 के तृतीय परन्तुक के अनुसार यदि माल का परिवहन 10 किलो मीटर से कम की दूरी के अन्तर्गत कन्साइनर के व्यापार स्थल से ट्रांसपोर्टर के व्यापार स्थल के लिये अग्रेत्तर परिवहन के लिये किया जा रहा है उस स्थिति में ई-वे बिल के पार्ट-बी में वाहन सम्बंधी विवरण भरा जाना अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार माल और सेवा कर नियमावली के नियम 138 के उपनियम 5 के परन्तुक के अनुसार जहां माल का परिवहन राज्य में ट्रांसपोर्टर के व्यापार स्थल से कन्साइनी के व्यापार स्थल तक 10 किलोमीटर से कम दूरी के लिये किये जाता है तो ई-वे बिल में वाहन के ब्योरे को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी । अतः इस निर्देश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 के अनुसार माल के परिवहन से पूर्व ई-वे बिल जनरेट किया जाना अपेक्षित है तथा यह नियम दिनांक 01.02.2018 से प्रभावी हो रहा है। अतः दिनांक 31.01.2018 की मध्य रात्रि तक जिस माल का परिवहन आरम्भ हो चुका है उनके सम्बंध में यह नेशनल ई-वे बिल डाउनलोड किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः जांच के दौरान यदि 31.01.2018 की मध्य रात्रि तक परिवहन आरम्भ हो जाने वाले माल के सम्बंध में दिनांक 31.01.2018 तक लागू नियम 138 के अनुसार विभागीय प्रान्तीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in से जारी ई-वे बिल-01, ई-वे बिल-02, ई-वे बिल-03 अथवा ई-वे बिल टी0डी0एफ0 डाउनलोड किया गया है और उसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुयी है तो ऐसे माल को नहीं रोका जायेगा । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नॉन जी0एस0टी0 गुड्स अर्थात् पेट्रोल, डीजल, ऐवीऐशन टरवाइन फ्यूल, नेच्यूरल गैस एवं कूड ऑयल तथा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कन्जम्शन के लिये यह नेशनल ई-वे बिल लागू नहीं होगा किन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 द्वारा प्राविधानित ई-संचरण की व्यवस्था इन वस्तुओं पर यथावत् लागू रहेगी । आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.01.2018 ई-वे बिल के सम्बंध में जारी महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा जोनल स्तर पर गठित

कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर का स्थानीय समाचार पत्रों/सिनेमाघरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये एवं कन्ट्रोल रूम का नम्बर मुख्यालय को भी दिनांक 30.01.2018 की अपरान्ह 12 बजे तक ctithqlu-up@nic.in पर प्रेषित किया जाये जिससे की विभागीय वेबसाइट पर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।



(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।